

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-1(ए)/9/2016/ई/चार,
प्रति

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
उप संचालक
राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय
ग्वालियर।

विषय:- एक पक्षीय कार्यमुक्त करने बावत्।

संदर्भ:- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ-1(सी)/9/2016/ई/चार, दिनांक 16.11.2016

-----0-----

संदर्भित आदेश द्वारा आपको राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर से स्थानांतरित करते हुए लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के पालन में आपके द्वारा आज दिनांक तक अपने नवीन स्थानांतरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः आपको दिनांक 26.12.2016 से एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(विजय कठोने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


क्रमांक एफ-1(ए)/2/2016/ई/चार

✓

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि/कृषि विभाग, मंत्रालय,
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल,
4. कुल सचिव, विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
5. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर,


अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग